भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2780
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दिए जा रहे बोनस संबंधी नीति की समीक्षा**

2780. श्री कोडिकुन नील सुरेशः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार को धान और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर दिए जा रहे प्रोत्साहन बोनस की मौजूदा नीति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त निर्देश कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के परामर्श से जारी किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार केरल में, विशेष रूप से कुट्टनाड क्षेत्र में, धान की खेती की अनूठी कृषि-पारिस्थितिकी स्थितियों के कारण खेती की उच्च लागत को स्वीकार करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि राज्य एमएसपी के ऊपर अतिरिक्त बोनस देने के लिए स्वतंत्र हैं और इसके कोई प्रतिकूल राजकोषीय परिणाम या नीतिगत प्रतिबंध नहीं होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ): व्यय सचिव द्वारा राज्य के मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 9 जनवरी 2026 के पत्र में राज्य सरकारों को अपनी बोनस नीतियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे।

केरल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार का धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस प्रदान करने की वर्तमान नीति की समीक्षा करने या उसे वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रत्येक वर्ष, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के बाद, पूरे देश के लिए 22 अधिसूचित कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, फसलों के बीच मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, साथ ही भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना स्तर पर रखने का पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत (केरल सहित) पर न्यूनतम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी।

*****